इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड

आपूर्तिकर्ताओं हेतु आचार संहिता

(दिसंबर २०१४ में अनुमोदित)

संशोधन – प्रथम

(मई २०१७ में अनुमोदित)

टिप्पणी

इस नीति में निहित कोई प्रावधान यदि किसी स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम से मतभेद उत्पन्न करता है तो उस दशा में लागू स्थानीय कानून, नियम अथवा अधिनियम ही प्रभावी रहेगा ।

विषय - सूची

अनुपालन का क्षेत्र 1

विधि अनुपालना 1

नैतिकता और विधिक आवश्यकताएं 2

रोजगार में मानवाधिकार मानक 2

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 3

स्वामित्व की सूचना 3

परस्पर विश्वास और सम्मान 4

अनाचरण की सूचना 4

स्थायीकरण पत्र 5

उप-ठेकेदार सत्यापन का अनुपालन प्रपत्र 7

आपूर्तिकर्ताओं हेतु आचार संहिता

इंडोरामा वेंचर्स पब्लिक कंपनी लिमिटेड और इसकी सहायक / सहयोगी कंपनियां (सामूहिक रूप से **कंपनी** के रूप में संदर्भित) सभी लागू कानूनों, नियमों और उच्चतम नैतिक मानकों और कॉर्पोरेट दायित्व के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण के अनुसार अपने व्यवसाय को संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कंपनी अपनी आपूर्ति श्रृंखला में संरेखन हेतु अपने आपूर्तिकर्ताओं से भी अपने समान सिद्धांतों को अपनाने की अपेक्षा करती है ।

अतः, कंपनी आपूर्तिकर्ताओं के लिए अपने दृष्टिकोण के अनुरूप, अपनी आपूर्ति श्रृंखला में संलग्न सभी आपूर्तिकर्ताओं को अपने 'आपूर्तिकर्ता आचार संहिता' (सामूहिक रूप से **संहिता** के रूप में संदर्भित) के अनुपालन की अपेक्षा करती है।

अनुपालन का क्षेत्र

इस संहिता के प्रावधान आपूर्तिकर्ताओं (जो कंपनी के साथ व्यापार करते हैं या सहयोग करते हैं या सेवायें प्रदान करते हैं;) से कंपनी की उम्मीदों को निर्धारित करते हैं। यह संहिता उनके कर्मचारियों, मूल, सहायक या संबद्ध इकाइयों एवं उप-ठेकेदारों पर लागू होती है। इस सन्दर्भ में प्रासंगिक पार्टियों की श्रेणी में मात्र आपूर्तिकर्ता ही नहीं हैं अपितु बाहरी सहयोगियों, सेवा प्रदाताओं, वाणिज्यिक भागीदारों को भी शामिल किया गया हैं।

यह आचार संहिता आपूर्तिकर्ता के उप-ठेकेदारों पर भी लागू होती है, जो आपूर्तिकर्ताओं को सामान या सेवाएं प्रदान करते हैं। इस संहिता को सभी उप-स्तरीय (श्रृंखला में आगे के) उप-ठेकेदारों पर भी लागू किया जायेगा। आपूर्तिकर्ता, संहिता का इस प्रकार के सभी उप-ठेकेदारों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हैं | कंपनी यह अपेक्षा करती है कि आपूर्तिकर्ता, इस संहिता के सिद्धांतों को अपनी प्रबंधन प्रणाली में स्थान देंगे और बनाए रखेंगे, और अपनी प्रबंधन प्रक्रियाओं और व्यवसायिक कार्यों की निगरानी सक्रिय रूप से इस प्रकार करेंगे कि इस वे इस संहिता में दिए गए सिद्धांतों के साथ संरेखित हों | आपूर्तिकर्ताओं और उप-ठेकेदारों द्वारा इस संहिता को लागू करने की प्रगति की समीक्षा करने के लिए, कंपनी उनकी सहायता हेतु कदम उठा सकती है जैसे उनके द्वारा संहिता के अनुपालन को स्वयं प्रमाणित करने के लिए और कुछ मामलों में आपूर्तिकर्ता द्वारा उप ठेकेदारों की साइट का मूल्यांकन करने और सुविधाओं का निरीक्षण करने के लिए | यदि ऐसे किसी निरीक्षण में इस संहिता का उल्लंघन पाया जाता है, तो आपूर्तिकर्ता ऐसी स्थिति को कंपनी की संतुष्टि हेतु ठीक करने के लिए तुरंत कार्य करेगी। ऐसा करने में विफल रहने पर आपूर्तिकर्ता का कंपनी के साथ भविष्य में होने वाला व्यापार सम्बन्ध प्रभावित हो सकता है।

कानूनी अनुपालना

यह संहिता आपूर्तिकर्ताओं से अपेक्षित नैतिक और व्यवसायिक व्यवहार के मानकों को निर्धारित करती है और लागू कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करती है। यदि कहीं संहिता और राष्ट्रीय विधि या अन्य लागू मानकों के बीच मतभेद हैं तो आपूर्तिकर्ताओं को आवश्यकताओं का कठोरता से पालन करना होगा।

नैतिकता और विधिक आवश्यकताएँ

हित संघर्ष से बचना:

आपूर्तिकर्ता रिश्वत, भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और किसी अन्य निषिद्ध व्यापार प्रथाओं के संबंध में लागू कानूनों और नियमों का पालन करेंगे। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसी भी परिस्थिति में किसी भी रूप में कोई गैरकानूनी भुगतान नहीं करना चाहिए अथवा स्वीकार भी नहीं करना चाहिए। यह नियम सीधे अथवा किसी मध्यस्थ के द्वारा की गयी अनुचित लाभ की पेशकश पर भी लागू होता है ।

उपहार, आतिथ्य और व्यय:

कंपनी के आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कंपनी के कर्मचारियों को किसी व्यवसाय निर्णय को प्रभावित करने के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई उपहार या लाभ नहीं दिया जाना चाहिए ।

व्यावसायिक उद्देश्य से सामाजिक अवसरों पर भोजन या मनोरंजन के आतिथ्य का प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है वरन ऐसे आतिथ्य का मूल्य 3,000 भात से कम हो । कंपनी का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के लिए यात्रा व्यय का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा। अनुबंध वार्ता, बोली या पुरस्कार के उपलक्ष्य में आतिथ्य, व्यय या उपहार का प्रस्ताव न ही किया जाना चाहिए और न ही स्वीकार किया जाना चाहिए ।

सटीक लेखा और व्यापार अभिलेख:

आपूर्तिकर्ता कंपनी के साथ अपने व्यवसाय से संबंधित सटीक रिकॉर्ड रखेंगे और कंपनी के अनुरोध पर कंपनी को प्रदान करेंगे।

प्रतियोगिता:

आपूर्तिकर्ता किसी भी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा के किसी सामान्य या विशेष नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे जैसे मूल्य निर्धारण पर अवैध सहयोग, अवैध बाजार साझाकरण या लागू कानूनों के उल्लंघन में कोई अन्य व्यवहार।

मानवाधिकार मानक

कंपनी मानवाधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा और उसके संगत दो करारों (नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार और आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय करार) में शामिल मानवाधिकारों को स्वीकारने और संरक्षण करने के लिए समर्पित है।

आपूर्तिकर्ताओं से भी यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कर्मचारियों व समाज के साथ समान अथवा समकक्ष मानकों को अपनाएं। मानवाधिकार की न्यूनतम आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:

विविधता और समानता:

आपूर्तिकर्ताओं का उद्देश्य, मानव अधिकार के रूप में पहचाने जाने वाले वंश, रंग, लिंग, धर्म, लिंग, यौन अभिविन्यास, राष्ट्रीय मूल, उम्र, विकलांगता या किसी अन्य प्रकार के मानवाधिकार के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव रहित समान अवसर प्रदान करना होना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं से समान काम के लिए समान वेतन प्रदान करने का समर्थन करने की अपेक्षा की जाती है। आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उनके कर्मचारियों

के साथ किसी भी प्रकार के शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दुर्व्यवहार सहित किसी भी भेदभाव या धमकी का विरोध करना आवश्यक है ।

उपयुक्त कार्य समय और वेतन:
आपूर्तिकर्ता काम के घंटे और ओवरटाइम पर लागू सभी कानूनों के साथ-साथ वेतन और लाभों हेतु लागू सभी कानूनों का पालन करेंगे।

संघ की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी का सम्मान:
आपूर्तिकर्ता कर्मचारियों के मुक्त संघ के अधिकार के साथ-साथ एक श्रमिक संघ में या अन्यथा सामूहिक सौदेबाजी में शामिल होने अथवा शामिल न होने के उनके कानूनी अधिकार का सम्मान करेंगे।

बाल श्रम:
आपूर्तिकर्ता और उनके आपूर्तिकर्ता एवं ग्राहक, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बालश्रम का उपयोग नहीं करेंगे। बच्चा अर्थात 15 वर्ष से कम उम्र का बालक अथवा किसी राष्ट्रीय या स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित आयु में से जो भी अधिक हो ।

बालश्रम का अर्थ किसी बालक या अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु सम्मेलन 1 9 73 (सी 138) के व्यक्ति द्वारा किये जाने वाले काम से है।

जबरन और अनिवार्य श्रम:
आपूर्तिकर्ता और उनके अपने आपूर्तिकर्ता एवं ग्राहक अपने सम्पूर्ण ज्ञान से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार से जबरन या अनैच्छिक श्रम, बंधुआ मजदूरी या गुलामी नहीं करवाएंगे ।

पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा

आपूर्तिकर्ताओं को सभी लागू पर्यावरणीय कानूनों, नियमों और मानकों का पालन करना चाहिए। आपूर्तिकर्ता पर्यावरणीय चुनौतियों के प्रति एहतियाती दृष्टिकोण बरतेंगे, अधिक से अधिक पर्यावरणीय जिम्मेदारी को बढ़ावा देने की पहल करेंगे, और पर्यावरण के अनुकूल प्रौद्योगिकियों के विकास और प्रसार को प्रोत्साहित करेंगे। आपूर्तिकर्ता अपनी कार्य गतिविधियों और उत्पादों से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव को कम करने का भरकस प्रयास करेंगे ।

आपूर्तिकर्ता अपने कर्मचारियों, लोगों, आगंतुकों, ठेकेदारों और उनकी गतिविधिओं से प्रभावित समाज के सभी लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए उचित प्रावधान करेंगे। इस हेतु एक सुरक्षित और स्वच्छतापूर्ण वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए और सुरक्षा अभ्यास को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं को स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

पर्यावरण, स्वास्थ्य और सुरक्षा के जोखिमों का आकलन किया जाएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए उचित नियंत्रण बनाए जायेंगे कि संहिता के सिद्धांतों को पूरा किया गया है।

स्वामित्व की जानकारी

आपूर्तिकर्ताओं द्वारा कंपनी के साथ व्यापार के लेन-देन के माध्यम से प्राप्त किसी भी लिखित या मौखिक सूचना को गोपनीय रखा जाना चाहिए और अपने अथवा किसी तीसरे पक्ष के व्यक्तिगत लाभ के लिए कभी भी उपयोग नहीं करना चाहिए।

यदि आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किसी लागू कानून या सक्षम नियामक प्राधिकरण के नियमन हेतु किसी गोपनीय सूचना का प्रकटन आवश्यक हैं, तो आपूर्तिकर्ता जन्य परिस्थिति अनुसार शीघ्र इसकी सूचना कंपनी को लिखित में देंगे ताकि कंपनी आवश्यक सुरक्षात्मक आदेश या अन्य उपयुक्त उपाय खोज सके और / या इसके अनुपालन का परित्याग करे । यदि कंपनी द्वारा ऐसा कोई सुरक्षात्मक आदेश या अन्य उपाय प्राप्त नहीं किया है या कंपनी ने लागू शर्तों के अनुपालन का परित्याग नहीं किया है तो आपूर्तिकर्ता गोपनीय जानकारी का केवल इतना खुलासा कर सकते हैं जितना कि ऐसा करने हेतु उनके कानूनी सलाहकार ने सलाह दी है और इस प्रकार खुलासा की गयी समस्त गोपनीय जानकारी की एक प्रति कंपनी को प्रदान करेंगे। और ऐसे किसी प्रकटीकरण के संबंध में, आपूर्तिकर्ता ऐसी सूचना की गोपनीयता को संरक्षित करने हेतु सर्वोत्तम प्रयास करेंगे। इसमें वाणिज्यिक और तकनीकी दोनों प्रकार की सूचनाएँ शामिल हैं। स्वामित्व वाली सूचना की सुरक्षा की औपचारिक प्रक्रिया में उचित गैर-प्रकटीकरण या गोपनीयता समझौते लागू होंगे ।

परस्पर विश्वास और सम्मान

कंपनी अपने आपूर्तिकर्ताओं से अपनी इस संहिता के सम्मान और प्रचार की अपेक्षा करती है। हम यह मानते हैं कि हमारे आपूर्तिकर्ता स्वतंत्र व्यवसाय हैं। हालांकि   हमारे व्यापार भागीदारों के कार्य कंपनी की प्रतिष्ठा को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि हमारे सभी आपूर्तिकर्ता निर्धारित मानकों को पूरा करें और इस संहिता में दिए गए सिद्धांतों को बढ़ावा दें और नियमित सुधार गतिविधियों में शामिल हों।

अनाचरण की सूचना

यदि किसी भी अनैतिक या अवैध अनुपालन की सूचना मिलने पर अथवा कोई इस सन्दर्भ में कोई प्रश्न उठने पर, आपूर्तिकर्ताओं को इसे कंपनी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी है। आपूर्तिकर्ता इसकी सूचना निम्नलिखित पते पर दे सकते हैं:

Indorama Ventures PCL.
75/102 Ocean Tower 2, 37th Fl.,
Soi Sukhumvit 19, Asoke Road,
Klongtoey Nua, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand
Tel: +662 661-6661 Ext.556
Email: independentdirectors@indorama.net

किसी संभावित अनाचार की ईमानदारी से दी गयी सूचना, सूचना देने वाले आपूर्तिकर्ता के कंपनी के साथ सम्बन्ध को प्रभावित नहीं करेगा।

कंपनी का नाम :

पंजीकृत कार्यालय :

संपर्क सूत्र :

दिनांक :

पुष्टिकरण पत्र - इंडोरामा वेंचर्स के आपूर्तिकर्ताओं हेतु आचार संहिता की अनुपालना की स्वीकृति

इंदोरमा वेंचर्स - सभी इंडोरामा वेंचर्स सहयोगियों और सहायक कंपनियों सहित (जिन्हें एक साथ "कंपनी" के रूप में परिभाषित किया गया है), की ओर से स्थायी विकास के लिए पर्यावरण, मानवाधिकार, श्रम और नैतिकता के मानकों को अपनाने हेतु प्रतिबद्ध है।

अतः कंपनी यह सुनिश्चित करना चाहती है कि कंपनी के सभी आपूर्तिकर्ता हमारे 'आपूर्तिकर्ता आचार संहिता' ("संहिता") के मानकों का अनुपालन करते हैं, जोकि संलग्न है। विशिष्ट मानकों के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया संहिता पढ़ें।

कृपया इस पत्र पर हस्ताक्षर करें जोकि इस संहिता में वर्णित मानकों और उनके अनुपालन करने के लिए आपकी कंपनी की तरफ से स्वीकृति और सहमती मानी जाएगी।

इसके अलावा, हम अपने उप-ठेकेदारों के माध्यम से कंपनी व्यवसाय श्रंखला में संलग्न उप-ठेकेदारों में इस संहिता का प्रसार करने और उप-ठेकेदार सत्यापन के अनुपालन फ़ॉर्म (एस) को एकत्र करने की अपेक्षा करते हैं।

इन दस्तावेजों को फाइल में रखा जाएगा और अनुरोध पर कंपनी के प्रतिनिधियों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। आपूर्तिकर्ता; आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी परिवर्तन की सूचना कंपनी को देने के लिए सहमत हैं और यह सुनिश्चित करेंगे कि आपूर्ति श्रृंखला में इस संहिता में निर्दिष्ट मानकों का पालन या उससे अधिक हो।

यदि आपके पास इस पत्र या संहिता के बारे में कोई प्रश्न हैं, तो कृपया कंपनी के संपर्क सूत्र से संपर्क करें।

सधन्यवाद,

हम, अधोहस्ताक्षरी, इस प्रकार संहिता में उल्लिखित मानकों को स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं और इसके द्वारा इसके साथ पालन करने के लिए स्वीकार करते हैं।

स्थान:

दिनांक:

....

हस्ताक्षर

नाम

पद

उप-ठेकेदार सत्यापन का अनुपालन प्रपत्र

सीधे आपूर्तिकर्ता कंपनी का व्यापारिक नाम:	
उप-ठेकेदार कंपनी का व्यापारिक नाम:	
पंजीकृत पता:	
संपर्क सूत्र:	
ईमेल:	
फ़ोन नंबर:	
फैक्स नंबर:	

उत्पाद का नाम	**गैर-अनुपालना का प्रकार**	**अनुपालना हेतु किये गए प्रयास**

.... की ओर से, कंपनी द्वारा प्रस्तुत संहिता की शर्तों की समीक्षा की गई है और स्वीकार की जाती हैं।................................ जहां तक हमें ज्ञात है, किसी भी क्षेत्र में संहिता की गैर –अनुपालना नहीं है। .... , यदि कहीं कोई ऐसा मुद्दा पाया जाता है परिस्थिति में परिवर्तन करे और ऐसा इंगित करे कि संहिता की अनुपालना नहीं हो रही तो इस सन्दर्भ में हम कम से कम समय में सूचित करने के लिए सहमत हैं

स्वामी / संचालक के हस्ताक्षर : ....

स्वामी / संचालक का नाम (कृपया लिखें) : ....

दिनांक : ....